राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील डिक्री/टी.ए./4921/2004/धौलपुर
(2) अपील डिक्री/टी.ए./12617/2004/धौलपुर

(1) उदय सिंह पुत्र श्रीया मृतक जरिए वारिसान–
1/1 रूमाली पत्नी स्व0 उदय सिंह
1/2 हरि सिंह पुत्र स्व0 उदय सिंह
1/3 कतला उर्फ महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 उदय सिंह
1/4 राजू पुत्र स्व0 उदय सिंह
1/5 गिर्राज पुत्र स्व0 उदय सिंह
1/6 राजवीर पुत्र स्व0 उदय सिंह
समस्त जाति गुर्जर निवासी–ग्राम प्रानसुख का नगला, मजरा गढी लज्जा, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर।

....अपीलांट्स

बनाम

1. बच्चु
2. लक्ष्मण
3. हाकिम
4. भगवान सिंह

समस्त पुत्रगण श्रीया, जाति गुर्जर, निवासी–प्रानसुख का नगला, मजरा गढी लज्जा, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिए, तहसीलदार सैपऊ

...रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री ओ. एल. दवे, अभिभाषक अपीलांट
श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 16.1.2023

निर्णय

उक्त दोनों अपीलें भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा अपील संख्या 122/2001 एवं 136/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–8–2004 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनों अपीलों के तथ्य, विषय–वस्तु एवं पक्षकारान समान होने से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का बहस में कथन है कि रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के न्यायालय में वाद संख्या 50/98 पेश किया। इसी विवादित आराजीयात बाबत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलांट उदयसिंह द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध वाद संख्या 56/98 सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के न्यायालय में पेश किया, जो वाद संख्या 50/68के साथ कन्सोलिडेट किया गया। विचारण न्यायालय ने दावों एवं जवाब दावों के आधार पर वाद पत्र में सात तनकियात कायम की एवं पक्षकारान की साक्ष्य दर्ज करने एवं उभय पक्ष को सुनने के उपरांत अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2001 द्वारा रेस्पोडेन्ट का वाद संख्या 50/98 डिक्री कर दिया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 56/98 खारि कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने दो पृथक–पृथक अपीलें (अपील संख्या 122/2001 एवं 136/2001) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की, जो आक्षेपित निर्णय दिनांक 16–8–2004 द्वारा खारिज कर दी गई। उनका तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट का वाद एवं अपील मात्र इस आधार पर कि, गोद गये पुत्र को गोद लेने वाले व्यक्ति के मरने के बाद वे समस्त अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, जो उसके थे जब अपीलांट गोद ले लिया गया तो उसके पक्ष में वसीयत करने की आवश्यकता नहीं रहती है, खारिज कर दिये। जबकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान अंकित नहीं है कि जो व्यक्ति गोद जाता है उसके पक्ष में गोद लेने वाला व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता। यहां तक कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के पुत्र अथवा पुत्री अथवा किसी भी व्यक्ति के हक में वसीयत निष्पादित किये जाने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। दो अलग–अलग वसीयत होने की स्थिति में आखरी वसीयत को मान्यता दी जाती है। वसीयत का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकरण में आखरी

वसीयत अपीलांट के हक में है, रेस्पोडेन्ट के हक में पहले वाली वसीयत है। रेस्पोडेन्ट की वसीयत दिनांक 1–4–97 की है और उसको 7–4–97 को पंजीकरण करना अपनेआप में संदेह उत्पन्न करता है। अपीलांट ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अपनी वसीयत को सन्देह से परे सिद्ध किया है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट की वसीयत प्रमाणित नहीं है। किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। अतः उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2001 एवं 16–8–2004 निरस्त किये जावें एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार गजाधर थे, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 1–4–97 को वसीयत निष्पादित की थी, जिसका पंजीयन दिनांक 7–4–97 को हुआ। गजाधर की मृत्यु दिनांक 8–4–97 को हुई। गजाधर द्वारा अपीलांट उदयसिंह को कभी गोद नहीं लिया गया एवं ना ही अपीलांट के पक्ष में कोई वसीयत की। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुका है। अपीलांट उदयसिंह फर्जी एवं अपंजीकृत वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी को क्लेम कर रहा है। जहां पंजीकृत वसीयत हो, वहां अपंजीकृत वसीयत को मान्यता नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 14–6–2001 द्वारा रेस्पो. / वादीगण के वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री करते हुए अपीलांट के वाद को खारिज किया है, जो न्यायोचित है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमति दर्शाते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है। अंत में उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को 14–6–2001 एवं 16–8–2004 को विधि सम्मत बताते हुए उक्त दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया गया।

6. विचारण न्यायालय ने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दावों व जवाब दावों के आधार पर प्रकरण में 7 तनकियात कायम की। जिनमें तनकी संख्या 3 व 4 महत्वपूर्ण थी, जिन पर अन्य तनकियात का निर्णय आधारित था। तनकी संख्या 3 व 4 इस आशय की कायम की गई कि–

''3. आया प्रतिवादी उदयसिंह के पक्ष में निष्पादित आराजी के बाबत गजाधर ने वसीयतनामा दिनांक 2–4–97 को निष्पादित कर उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया।''

''4. आया प्रतिवादी उदयसिंह वसीयतनामा दिनांक 2–4–97 से सम्पूर्ण विवादित आराजी का एकान्ति खातेदार है और काबिज है।''

उक्त दोनों तनकियों को सिद्ध करने का भार अपीलांट/प्रतिवादी उदयसिंह पर था। अपीलांट उदयसिंह की ओर से वसीयत दिनांक 2–4–97 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में गवाहान उदयसिंह, जण्डेलसिंह, विजेन्द्रसिंह, श्यामगिरी के बयान कराये। इसके विपरीत रेस्पो./वादी की ओर से वसीयत दिनांक 1–4–97, जो दिनांक 7–4–97 को पंजीकृत की गई, पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में भगवानसिंह, मानसिंह, जगन्नाथ के बयान कराये। रेस्पो./वादी बच्चू आदि की ओर से पेश की गई वसीयत दिनांक 1–4–97 में गजाधर ने अपनी सम्पत्ति में वादी एवं प्रतिवादी को बहिस्सा बराबर वारिस मनोनीत किया है। जबकि अपीलांट/प्रतिवादी उदयसिंह की ओर से प्रस्तुत वसीयत में समस्त आराजीयात अकेले उदयसिंह के नाम की गई है। इसके अतिरिक्त रेस्पो. की ओर से जो वसीयत प्रस्तुत की गई है, वह पंजीकृत है, जबकि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वसीयत अपंजीकृत है एवं उसमें समस्त आराजीयात अपीलांट उदयसिंह के पक्ष में की वसीयत की गई है, जो अपनेआप में संदेहास्पद है। अपीलांट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे कि गजाधर द्वारा उदयसिंह को गोद लिया जाना साबित होता हो। ऐसे में ग्राम पचांयत सहरोली द्वारा रेस्पो./वादीगण की ओर से प्रस्तुत पंजीकृत वसीयत के आधार पर बाद जांच दिनांक 6–9–97 को नामान्तरण संख्या 47 व 593 स्वीकृत किये गये, जिनके आधाार पर अधिकार अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादी के पक्ष में इन्द्राज हो चुके हैं। यदि अपीलांट उदयसिंह के पक्ष में वसीयत दिनांक 2–4–97 को निष्पादित हो गई थी तो उसे वसीयकर्ता की मृत्यु के पश्चात आराजी को अपने पक्ष में दर्ज कराने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है अपीलांट/प्रतिवादी अपने पक्ष में की गई कथित

वसीयत को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है। इसके विपरीत रेस्पो./वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 व 4 को रेस्पो./वादीगण के पक्ष में एवं अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

7. अन्य तनकियात का निर्णय, तनकी संख्या 3 व 4 के निर्णय पर आधारित होने से विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 व 4 पर दिये गये निष्कर्षो के आधार पर अन्य तनकियात को भी रेस्पो./वादीगण के पक्ष में एवं अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए निर्णय दिनांक 14–6–2001 द्वारा रेस्पो./वादीगण के वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री करते हुए अपीलांट/प्रतिवादी उदयसिंह के वाद को खारिज किया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत से सहमत होते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है, जो उचित है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में पारित निर्णयों एवं डिक्री से पूर्णतया सहमत हैं एवं आक्षेपित निर्णयों एवं डिक्री में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 122/2001 एवं 136/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–8–2004 एवं विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 50/98 एवं 56/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2001 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द कुमार पुरोहित)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य